न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमीलाल यादव R.A.S.

विविध/2025/ दिनांक :– 8-1-2025

मंगतु उर्फ मांगुराम बनाम औमप्रकाश आदि

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी. सी.

1 मंगतु उर्फ मांगुराम पुत्र चैनाराम जाति जाट निवासी ग्राम बैनाथा जोंगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

1 औमप्रकाश पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
2 श्रीमती मुन्नी देवी पत्नि ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तह. बीदासर जिला चूरू
3 पेमा देवी पत्नि जेसाराम जाति जाट निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
4 जगदीश पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू

अप्रार्थीगण

5 सूरजाराम पुत्र चैनाराम जाति जाट निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू

इस आदेश द्वारा प्रार्थी मंगतु उर्फ मांगुराम पुत्र चैनाराम जाति जाट निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी. सी. का निस्तारण किया जा रहा है। संक्षेप में हस्तगत प्रकरण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य इस प्रकार है :–

प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 364 तादादी 4.2998 हैक्टेयर भूमि व खसरा नम्बर 372 तादादी 5.3115 हैक्टेयर भूमि वाके रोही बैनाथा जोगलिया में स्थित है, जिसमें खसरा नम्बर 372 तादादी 5.3115 हैक्टेयर प्रार्थी मंगतुराम के हिस्से में आया हुआ है एवं खसरा नम्बर 364 तादादी 4.2998 हैक्टेयर प्रार्थी के भाई गौण अप्रार्थी सुरजाराम के हिस्से में आया हुआ है, प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 372 तादादी 5.3115 हैक्टेयर भूमि वाके रोही बैनाथा जोगलिया में खेत की सुरक्षा के लिए चारों तरफ सींव तारबन्दी कर रखी है एवं खेत में पुख्ता आवासीय मकान बना रखे है एवं बिजली पानी की सुविधाएं प्राप्त कर रखी है, खेत मे आवासीय मकानों में हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त कर रखी है एवं भूमि एवं मकानों की सुरक्षा करना प्रार्थी का कांनूनी अधिकार है। प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 372 तादादी 5.3115 हैक्टेयर भूमि वाके रोही बैनाथा जोगलिया चिपता ही अगूणी तरफ खसरा नम्बर 369 तादादी 4.1734 हैक्टेयर भूमि के खातेदार अप्रार्थीगण औमप्रकाश आदि के खातेदारी में दर्ज है जो आये दिन प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों में दखल करते है एवं प्रार्थी एवं उसके परिवार को तंग परेशान करते है कब्जे काश्त में दखल करते है एवं प्रार्थी को उसके खातेदारी अधिकारों से महरूम करने की कुचेष्टा में लगे रहते है प्रार्थी के खेत के चिपते ही पड़ौसी होने के कारण प्रार्थी के खेत की सीवों को काट कर नष्ट करते है एवं तारबन्दी काट कर प्रार्थी के खेत की भूमि में जबरन प्रवेश करते है जिसका अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार से कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है प्रार्थी अपने पुत्र के साथ अक्सर जयपुर रहता है जिस कारण खेत की पुख्ता एवं पूर्णतया सुरक्षा किया जाना प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया है। दिनांक 20/07/2024 को प्रार्थी ने अपने खेत को काश्त

लगातार.....2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

कर लिया एवं काश्त से पूर्व खेत की सभी सीमाएं एवं तारबन्दी को सही कर दिया, चारो तरफ आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए सही ढ़ग से तारबन्दी कर खेत की पूर्णतया सुरक्षा कायम की, जबकी अप्रार्थीगण औमप्रकाश पुत्र जैसाराम, मुन्नी देवी पत्नि औमप्रकाश, पेमा देवी पत्नि जैसाराम, जगदीश पुत्र जैसाराम आदि जो कि परिवार राजनैतिक गुट से आरम्भ से प्रार्थी एवं उसके परिवार से वैरभाव एवं वैमन्यस्ता रखता है जिस कारण आये दिन प्रार्थी के खेत में जबरन नुकशान कारित करने का मनसूबा रखते हैं एवं प्रार्थी को हर प्रकार से तंग परेशान करते है, प्रार्थी के खेत की सींव डोले व तारबन्दी नष्ट कर प्रार्थी के खेत में अपने पशुओं को घुसा देते हैं, प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थीगण एवं उसके परिवार के लोगों मना कर दिया है कि वह प्रार्थी के खेत की सीमाओं को नुकसान नहीं करे एवं न ही प्रार्थी के खातेदारी अधिकारें में अडचन पैदा करें एवं प्रार्थी के खेत की सींव डोला आदि सीमाओं से किसी प्रकार से कोई छेडछाड नहीं करें, जिससे अप्रार्थीगण अपनी हरकतो से बाज नहीं आ रहें है एवं हर प्रकार येन केन प्रकारेण प्रार्थी के सम्पति को नुकसान करने पर आमादा हो रखें है। दिनांक 21/07/2024 सुबह अप्रार्थीगण ने प्रार्थी खेत में अगुणी एवं आथूणी तरफ की तारबन्दी काट दी एवं डोला सींव नष्ट कर दिये जिस पर प्रार्थी एवं भाई सुरजाराम एवं थानाराम पुत्र सुरजाराम ने मना किया एवं अप्रार्थीगण प्रार्थी एवं उसके साथ मरने मारने पर उतारू हो गये एवं जबरन काश्त कि भूमि में से गाडीयॉ निकालने लगे, प्रार्थी ने काफी समझाया पर नहीं माने, तार काटकर अपने पशुओं को खेत में प्रवेश करा दिया, उसके बाद प्रार्थी ने दिन में अपनी खेत कि सीमा को पुनः सही किया एवं तारों को जोडा तो शाम के ओमप्रकाश आदि सभी लोग प्रार्थी की ढाणी में घुस गये एवं वादी के साथ गाली गलोच करने लगे एवं मारने की धमकिया देने लगे, लाठिया पिटने लगे व कहने लगे कि हमारे पशु इसी खेत में चरते है तो अब भी यही चरेंगे व आपकी फसल को हम नहीं होने देंगे, चारो तरफ सींव नष्ट कर देंगे, तारों का काट देंगे, इस प्रकार से एलानिया धमकिया दी, एवं प्रार्थी के खेत की तारबन्दी आदि को काटकर करीब 10 हजार का नुकसान कर दिया। अप्रार्थीगण का प्रार्थी बल के आधार पर सामना करने में असमर्थ है एवं प्रार्थी किसी प्रकार से लडाई झगडा करना नहीं चाहता है वादी शांतिप्रिय व्यक्ति है एवं अप्रार्थीगण झगडालू स्वभाव के व्यक्ति हैं। प्रार्थी अपने कानूनी अधिकारों के प्रति पूर्णतया सजग एवं सावधान है एवं किसी प्रकार से गैर कानूनी कृत्य कारित नहीं करना चाहता हैं, एवं किसी प्रकार से प्रार्थी अप्रार्थीगण से बल के आधार पर सामना नहीं करना चाहता है एवं न ही समर्थ है, प्रार्थी अपने हितों एवं अधिकारो कि सुरक्षा के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष शरण प्राप्त कर अपने हितों एवं अधिकारों एवं सम्पति सुरक्षा करना चाहता है जो कि प्रार्थी का कानूनी अधिकार है, प्रतिवादीगण अपने गैर कानूनी कृत्यों से बाज नहीं आ रहें हैं, जिस कारण प्रार्थी के लिए अवश्यक हो गया है कि अप्रार्थीगण के विरूद्व श्रीमान न्यायालय हाजा से इस आश्य कि स्थाई निषेधाज्ञा कि डिकी प्राप्त कर अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द करावें कि वह वादी के खेत खसरा नम्बर 372 तादादी 5.3115 हैक्टैयर भूमि वाके रोही बैनाथा जोगलिया में जबरन प्रवेश नहीं करे, खेत कि किसी भी सीमा को नष्ट नहीं करे, तारबनदी, डोला आदि को नष्ट नहीं करे एवं वादी के खेत में जबरन अपने पशुओं को प्रवेश नहीं करायें एवं न ही वादी के खेत में किसी प्रकार से कोई अवैध कृत्य करें, न ही वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करे एव ना ही वादी को उसके खातेदारी हक अधिकारों में बाधा करे एवं न ही उपरोक्त गैर कानूनी कृत्य किसी अन्य व्यक्ति से करावें एवं न ही ऐसा कोई फैल या तर्क करे जिससे प्रार्थी के अधिकारों को नुकसान कारित होता हो। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को दिनांक 21/07/2024 को समझाया कि वह वादी के खेत को नुकसान ना करे एवं परेशान न करे, अप्रार्थीगण के द्वारा नहीं मानने पर एवं वादी को जान माल कि सुरक्षा का खतरा होने पर वादी ने अविलम्ब पुलिस थाना बीदासर के समक्ष अपने पुत्र के मार्फत प्राथना पत्र पेश किया, पर अप्रार्थीगण अपनी हरकतों से बाज आते नहीं दिख रहे, यही दावे का कारण है वादी को वादधार वादगत भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त व खातेदारी में होने से प्राप्त है।

लगातार.....3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

गौणप्रतिवादी खातेदारी होने से पक्षकार होने से कानूनी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए पक्षकार संयोजित किया गया है। जिनके हित प्रार्थी के समान है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है अपूर्तिय क्षति भी प्रार्थी को हो रही है। यदि अप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने व प्रार्थी के खातेदारी भूमि पर कब्जा करने व प्रार्थी के खातेदारी भूमि में दखल करेंगे तो प्रार्थी की फसल बरबाद हो जायेगी जिससे प्रार्थी को अपूर्तिय क्षति होगी व यदि अप्रार्थी को तुरन्त नहीं रोका गया तो वाद की बहुलता बढेगी व प्रार्थी का भारी नुकसान होगा। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तु है। अन्य तथ्य वर वक्त अर्ज किये जायेंगे। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाये कि वह ताफैसला मूल वाद प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 372 तादादी 5.3115 हैक्टैयर भूमि वाके रोही बैनाथा जोगलिया में जबरन प्रवेश नहीं करे, खेत की किसी भी सीमा को नष्ट नहीं करें, तारबन्दी, डोला आदि नष्ट नहीं करें एवं प्रार्थी के खेत में जबरन अपने पशुओं को प्रवेश नहीं कराये एवं न ही प्रार्थी के खेत में किसी प्रकार का कोई अवैध कृत्य करें, न ही प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा करें एवं न ही उपरोक्त गैर कानूनी कृत्य किसी अन्य व्यक्ति से करावें एवं न ही ऐसा कोई फैल या कृत्य करे जिससे प्रार्थी के अधिकारों को नुकसान कारित होता हो।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञ प्राप्ती अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी. सी. को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी को एक पक्षीय सुना जाकर दिनांक 25/7/2024 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध आदेश अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का जारी किया गया। अप्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सख्या 1 ता 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थना पत्र की मद सख्या 1 एक वादगत भूमि खेत खसरा नम्बर 364 रकबा 4.2998 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 372 तादादी 5.3115 हैक्टेयर का अंकन राजस्व रेकार्ड के अनुसार सही एवं सत्य होने के कारण इन्कार नहीं और स्वीकार किया जाता है, उक्त मद में प्रार्थी स्वयं द्वारा इकरार किया गया है कि खेत खसरा नम्बर 372 तादादी 5.3115 हैक्टेयर प्रार्थी मांगुराम के हिस्सा पांती में तथा खेत खसरा नम्बर 364 तादादी 4.2998 हैक्टेयर प्रार्थी के भाई सुरजाराम के हिस्सा पांती में आया हुआ है का अंकन मौका पर कब्जा काश्त अनुसार सही होने के कारण इन्कार नहीं और स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र की मद सख्या 2 में वर्णित तथ्य "प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 372 तादादी 5.3115 हैक्टेयर भूमि वाके रोही बैनाथा जोगलिया में खेत की सुरक्षा के लिए चारों तरफ सींव तारबन्दी कर रखी है एवं खेत में पुख्ता आवासीय मकान बना रखे है एवं बिजली पानी की सुविधायें प्राप्त कर रखी है खेत में आवासीय मकानो में हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त कर रखी है एंव भूमि एवं मकानों की सुरक्षा करना वादी का स्वयं का कानूनी अधिकार हैं।" जो प्रार्थी का अपने खेत से अप्रार्थीगण के खेत में छोड़े गये वर्षो पुराने, कदीमी रास्ता की भूमि को छोड़ कर बाकी भूमि की हद तक स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद सख्या 3 में वर्णित तथ्य "प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 372 तादादी 5.3115 हैक्टेयर वाके रोही बैनाथा जोगलिया के चिपता ही अगूणी तरफ खसरा नम्बर 369 तादादी 4.1734 हैक्टेयर भूमि के खातेदार अप्रार्थीगण औमप्रकाश आदि के खातेदारी में दर्ज है" तक सही होने के कारण इन्कार नहीं और स्वीकार किया जाता है बाकी तथ्य गलत और निराधार मनगढ़ंत अंकित होने के कारण स्वीकार नहीं और इन्कार किये जाते हैं। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जा दखल में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी करने का कथन पूर्णतया मिथ्या पूर्ण होने के कारण स्वीकार नहीं और इन्कार किया जाता है। प्रार्थना पत्र की मद सख्या 4 में जिस प्रकार से तथ्यों को वर्णित किया गया है वोह सही नहीं होने के कारण स्वीकार नहीं और इन्कार किया जाता है, प्रार्थी अक्सर अपने पुत्र के पास जयपुर रहता है इस कारण ही प्रार्थी द्वारा अपने उपरोक्त वादगत खेत में से ढ़ाणी

लगातार.....4 पर

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (चूरू)

मकान से दक्षिणी तरफ की करीब 15–00 बीघा भूमि पिछले 5–6 साल से अप्रार्थी सख्या 4 चार जगदीश एवं उनके भाई नानुराम को बान्टे पर काश्त पर दी जाती रही है। प्रार्थी द्वारा इस मद में दिनांक 20/7/2024 को काश्त करने का कथन सही है लेकिन इससे पूर्व सींव एवं तारबन्दी को किसी प्रकार से सही किया हो स्वीकार नही और इन्कार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी हिस्सा भूमि काश्त करने के दिन अपनी रिहायसी ढ़ाणी मकान के चिपते अप्रार्थीगण के करीब 70–80 साल पुराने रास्ता को बन्द करके रास्ता की भूमि को काश्त कर अप्रार्थीगण को आवागमन से वंचित कर दिया है एवं निराधार दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को वर्षो पुराने रास्ते से आवागमन करने से वर्जित करवाया है जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थना पत्र की मद सख्या 5 में जिस प्रकार से तथ्यों को वर्णित किया गया है वो सही नहीं होने के कारण स्वीकार नही और इन्कार किया जाता है अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के खसरा भूमि की सींव डोला एवं तारबन्दी को किसी प्रकार से हटाया या तोड़ा नहीं गया है अप्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र अपने 70–80 साल पुराने रास्ता ही हद तक तारबन्दी खोल करके रास्ता लेवल किया गया है जो अप्रार्थीगण का मौलिक एवं सुखाधिकार होने के नाते वैधानिक अधिकार है। इस मद में वर्णित बाकी तमाम कथन मिथ्या पूर्ण होने के कारण स्वीकार नहीं और इन्कार किया जाता है। अप्रार्थीगण अपने पुराना रास्ता से आवागमन कर रहे है गाड़ीया निकाल रहे है जिसको प्रार्थी किसी भी प्रकार से प्रतिबन्धित करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थी के खेत की सीवं में लगी चारों तरफ की तारबन्दी काटने की धमकिया देने का कथन पूर्णतया मिथ्या पूर्ण है जो इन्कार किया जाता है। प्रार्थना पत्र की मद सख्या 6 में वर्णित तथ्य मिथ्या पूर्ण कपोल कल्पित होने के कारण स्वीकार नहीं और इन्कार किया जाता है अप्रार्थीगण शान्ती प्रिय एवं कानून में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। प्रार्थी के द्वारा रास्ता बन्द करने का अंदेशा होने पर अप्रार्थीगण सख्या 1 औमप्रकाश द्वारा रास्ता खुलवाने का प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार बीदासर, थानाधिकारी बीदासर, श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय बीदासर को प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना पत्र की मद सख्या 7 में वर्णित तथ्य गलत निराधार और तथ्य विहीन होने के कारण स्वीकार नहीं और इन्कार किया जाता है मद हाजा में वर्णित दिनांक 21/7/2024 को प्रार्थी की हम किसी अप्रार्थी से कोई वार्ता नहीं हुई। अप्रार्थी सख्या 4 प्रार्थी के खेत को लगातार काश्त कर रहा है इस कारण अप्रार्थीगण सख्या 4 एवं अन्य से किसी प्रकार का जान माल का खतरा होने का कथन पूर्णतया झूठा और निराधार है। प्रार्थी को वादाधार प्राप्त नहीं होने के आधार पर प्रार्थी का वाद/प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। प्रार्थना पत्र की मद सख्या 8 में वर्णित तथ्य हास्सास्पद होने के कारण स्वीकार नहीं और इन्कार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की मद सख्या 1 एक में स्वयं द्वारा एडमिट किया गया है कि खेत खसरा नम्बर 372 मुझ प्रार्थी के हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त में है तथा खेत खसरा नम्बर 364 गौण प्रतिवादी सुरजाराम के हिस्सा पांती एवं कब्जा काश्त में है तथा अपने पूर्वज किशनाराम के सजरा खानदान का अंकन करते हूए निवेदन किया की प्रार्थी मंगतु उर्फ मांगुराम तथा अप्रार्थी सख्या 1 ता 4 एक ही परिवार खानदान के रक्त संबधि है। प्रार्थी के दादा किशनाराम के चार पुत्र सन्तान नथाराम, हणुताराम, भीयाराम एवं चैनाराम हूए। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सख्या 1, 3, 4 एक ही परिवार खानदान के रक्त सम्बधि है उपरोक्त वर्णित वादगत खसरा भूमि खेत खसरा नम्बर 372 एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 369 के आवागमन का रास्ता खसरा नम्बर 372 के आथुणी तरफ लगने वाले कटाणी मार्ग से होकर खसरा नम्बर 372 से खसरा नम्बर 369 में प्रवेशं करता हुआ रहा है पूर्वजों के समय से यानि करीब 70–80 वर्ष पूर्व से खसरा नम्बर 369 में प्रवेश और आवागमन वास्ते रास्ता खसरा नम्बर 372 में से होकर रहा है, उक्त रास्ता से होकर अप्रार्थीगण द्वारा एवं प्रार्थी द्वारा अपने खेत मकानो में प्रवेश आवागमन किया जाता रहा है, अप्रार्थीगण की वर्षो पुरानी बारहमासी ढ़ाणीयां पक्के मकानात निर्मित है जो इसी मार्ग से आवागमन करके बनाये गये है और वर्षो से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की ढ़ाणी मकानात के उतरी तरफ से होकर कायम रास्ते से ही आवागमन किया जाता रहा है। वर्षो पुराना पूर्वजों के वक्त से छोड़े गये रास्ता के अलामात मौके पर मौजूद है एवं वर्तमान तकनीकी युग में सेटेलाईट ईमेज से प्राप्त नक्शा में भी पुराना रास्ता होने के चिन्ह स्पष्ट दर्शित है। वर्तमान में प्रार्थी द्वारा

लगातार.....5 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

अपनी पुख्ता पक्की बारहमासी ढ़ाणी के दिवार का निर्माण किया गया है इस नव निर्मित दिवार के चिपता चिपता कटाणी रास्ता से अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 369 में प्रवेश तक का रास्ता हमेशा कायम रहा है। उक्त रास्ता को बन्द करने की गरज से उक्त फर्जी और कुटरचित आधारों पर दावा/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती का प्रस्तुत किया गया है जो काबिले खारिज है। प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी भूमि में जिस प्रकार खसरा नम्बर 372 की भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त की होना एवं खेत खसरा नम्बर 364 गौण प्रतिवादी सुरजाराम के हक हिस्सा में होने का कथन कियां गया है उसी प्रकार प्रतिवादीगण के खेत खसरा नम्बर 369 में उत्तरी तरफ की 1/2 हिस्सा भूमि उक्त खसरा के 1/2 हिस्सा के खातेदार लाभूराम पुत्र भूराराम के कब्जा अधिकार में है जिसके भी आवागमन का मार्ग खसरा नम्बर 372 में से प्रार्थी की ढ़ाणी मकान से उतरी तरफ चिपता चिपता लगने वाला वर्षो पुराना मार्ग रहा है। प्रार्थी की पुख्ता पक्की बारहमासी ढ़ाणी मकान खेत खसरा नम्बर 372 में अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 369 की दक्षिणी पश्चिमी कुन्ट में तथा इसी सीध में अप्रार्थीगण की पुख्ता पक्की बारहमासी ढ़ाणीयां मकानात बने हूए है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण का वर्षो पुराना कदीमी रास्ता अप्रार्थीगण को राजनैतिक एवं पारिवारिक द्वेश के कारण बन्द किया गया है, अप्रार्थीगण के आवागमन का उक्त रास्ता एक मात्र वैकल्पिक मार्ग रहा है, यदि उक्त रास्ता बन्द किया जाता है तो अप्रार्थीगण के मौखिक अधिकारों एवं सुखाधिकारों का हनन होगा, अप्रार्थीगण के रोजमर्रा का यदि मार्ग है जिससे प्रतिवादीगण का परिवार, वाहन पशुधन का आवागमन होता है, प्रतिवादीगण का उक्त रास्ता बन्द करने से बिजली पानी रोजमर्रा की जीवनोउपयोगी सामग्री लाने ले जाने में भारी परेशानी हो रही है, बच्चों का विधालाय जाना बन्द हो गया है। अप्रार्थीगण अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हो रहे है जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण का पुर्वजों के वक्त का कदीमी रास्ता बन्द करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण का रास्ता बन्द करके, रास्ता की जमीन को काश्त करके अप्रार्थीगण को नाजायज हैरान परेशान करने की नियत से उक्त कूटरचित प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है जो किसी भी आधार पर चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती का काबिले खारिज होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जाये। जवाब प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने के कारण, वादाधार वा वाद हैतुक प्राप्त नहीं होने के कारण तथा प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती संचालन का अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने में प्रार्थी हकदार नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्टेज पर मय खर्चा खारिज फरमाया जाये।

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट ऐतराज एवं प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 09 सी. पी. सी. सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत। मौका रिपोर्ट ऐतराज प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तथा प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 09 सी. पी. सी. सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार होने पर प्रार्थी द्वारा पश्चातवर्ती कथन का जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभय पक्षकारान् के अधिवक्तागण की बहस अन्तिम सुनी गई। हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी को अपने पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती हेतू निम्नाकिंत तीन बिन्दु सिद्ध करने आवश्यक है:-

1 प्रथम दृष्टया मामला ।

2 सुविधा का सन्तुलन ।

3 अपूर्णनीय क्षति ।

उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबध में वकील प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष की और से अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हूए यह तर्क किया गया कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थी को असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ती जरिये नकद न हो सकेगी। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल दावा के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाये।

लगातार.....6 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

–: प्रथम दृष्टया मामला:–

अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये जाने हेतू जब उपरोक्त तीन बिन्दुओं की विरचना की जाती है उसमें यह बिन्दु अत्यन्त ही महत्वपूर्ण प्रकृति का बिन्दु होता है जिसे की तय करते समय न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर विचार किया जाना होता है कि वादगत सम्पति पर कब्जा किस पक्ष का है और यह कब्जा शान्तिपूर्ण और निर्विरोध रूप से चला आ रहा है या नहीं। हस्तगत प्रकरण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्यों, जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा, जवाब पश्चातवर्ती कथनों एवं फर्द मौका जांच रिपोर्ट से जाहिर स्थिति प्रकट होती है कि नजरी नक्शा में दर्शाये गये बिन्दू ए से बी वाली भूमि पर मौके पर खसरा नम्बर 372 के खातेदार द्वारा रास्ते हेतु छोड़ी हुई है परन्तु मौका स्थिति अनुसार इसका रास्ते के रूप में उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा नजरी नक्शा दर्शायें बिन्दू सी से डी वाला रास्ता प्रार्थी द्वारा बताए अनुसार खसरा नम्बर 369 में आवागमन हेतू उपयोग में लिया जा रहा है जो गुगल इमेज अनुसार भी पूर्व में रास्ता चालू होना प्रमाणित होता है जिसको खसरा नम्बर 372 के खातेदार द्वारा डोळा व बाड़ लगा कर बन्द कर दिया गया है। जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों एवं मौका जांच रिपोर्ट, नजरी नक्शा से यह सुस्पष्ट स्थिति है कि प्रार्थी द्वारा वर्षो पुराना रास्ता बन्द करने की गरज से एवं रास्ता अन्यत्र सिफ्ट करने की गरज से अप्रार्थीगण का वर्षो पुराना रास्ता डोळा व बाड़ लगा कर बन्द कर एक पक्षीय सुनवाई करवाते हूए अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 25/7/2024 को प्राप्त किया गया है। अप्रार्थीगण का वर्षो पुराना रास्ता बन्द करने से अप्रार्थीगण का सुखाधिकार बाधित होकर रोजमर्रा के कार्य बाधित हुए है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होना प्रतीत होता है।

–: सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति :–

सुविधा का संतुलन और अपूर्णनीय क्षति इन दोनो ही बिन्दूओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। सुविधा का संतुलन के संदर्भ में न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि किस पक्षकार को अधिक नुकसान या क्षति कारित हुई तथा अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू का निर्धारण करते हूए न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि जो क्षति कारित हूई है, उसकी गणना की जा सकती है या नहीं, और क्या उस क्षति की पूर्ती धन से की जा सकती है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के उपयोग उपभोग का वर्षो पुराना कदीमी रास्ता बन्द कर अन्यत्र शिफ्ट करने की गरज से अप्रार्थीगण के सुखाधिकार को बाधित करते हूए रास्ता बन्द कर रास्ता में डोळा व बाड़ लगा कर अस्थाई निषेधाज्ञा का एक पक्षीय आदेश प्राप्त कर अप्रार्थीगण को अस्थाई तौर पर पाबन्द करवाया है जिससे अप्रार्थीगण के सुखाधिकार बाधित हूए है। इस सदंर्भ में न्यायालय का विनम्र मत इस प्रकार है कि चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त विवेचना के क्रम में तय किया गया है। इस प्रकार ये दोनो बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में तय किये जाते है।

अतः उपरेक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तीय क्षति, प्रार्थी पक्ष के विरूद्ध तय पाये गये है। जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती अस्वीकर किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

फलतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करें। पत्रावली प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)